

सराहनीय कार्य जनपद बिजनौर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के कुशल निर्देशन तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक नजीबाबाद के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धर पकड की कार्यवाही के दौरान आज दिनांक 18.05.2021 को थाना पुलिस द्वारा पुकार टाकिज रायपुर अड्डा कस्बा नजीबाबाद बिजनौर से शातिर अभियुक्तगण 1. एयाज पुत्र अब्दुल मलिक 2. अब्दुल पुत्र फारूख निवासीगण मौ० राधगान कस्बा व थाना किरतपुर जिला बिजनौर को एक-एक अदद नाजायज चाकू(छुरी) के साथ गिरफ्तार किया गया हैं उक्त दोनो अभियुक्तो के कब्जे से दिनांक 16.05.2021 को थाना हाजा पर पंजीकृत मु०अ०स० 248/21 धारा 379 भादवि मे ओवर ब्रिज ग्राम दरियापुर थाना क्षेत्र नजीबाबाद से चोरी गये वीवो कम्पनी का मोबाईल व उक्त घटना कारित करने मे प्रयुक्त की गयी मो०सा० अपाचे नं०-UP20BB 2402 रंग सफेद बरामद किये गये। अभियुक्त अब्दुल उपरोक्त पूर्व मे चंडीगड, दिल्ली, उत्तरप्रदेश से मोबाईल चोरी एवं लूट की घटनाओ मे कई बार जेल गया है **शातिर किस्म का अपराधी है**

अभियुक्तगण का नाम –

1. एयाज पुत्र अब्दुल मलिक 2. अब्दुल पुत्र फारूख निवासीगण मौ० राधगान कस्बा व थाना किरतपुर जिला बिजनौर

अपराधिक इतिहास एयाज पुत्र अब्दुल मलिक

1. मु०अ०स० 248/21 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर
2. मु०अ०स० 250/21 धारा 4/25 A ACT थाना नजीबाबाद बिजनौर

अपराधिक इतिहास अब्दुल पुत्र फारूख

1. मु०अ०स० 248/21 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद बिजनौर
2. मु०अ०स० 251/21 धारा 4/25 A ACT थाना नजीबाबाद बिजनौर

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद मोबाईल वीवो सम्बधित मु०अ०स० 248/21 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद
2. मो०सा० अपाची UP20BB 2402 सम्बधित मु०अ०स० 248/21 धारा 379/411 भादवि थाना नजीबाबाद
3. 2 अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० श्री राजेन्द्र कुमार चौकी जाब्लागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. का० 313 समीर अहमद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3. का० 1937 जीतेश कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4. का० 1603 प्रवीण चौहान थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



थाना नहतौर-

थाना नहतौर पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी / 15-15 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित 04

अभियुक्तगण गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 15.05.2021 को थाना नहतौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फुलसन्दी में समय करीब 19:00 बजे मोबाइल एप्प दिखाने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों में कहासुनी हो गयी थी। जिस पर अमित पुत्र शूरवीर बीच-बचाव करने गया तभी उसके साथ अभियुक्तगण 1-शारदुल 2-शिवम 3-शगुन पुत्रगण ओमकार निवासीगण ग्राम फुलसन्दी थाना नहतौर, जनपद बिजनौर द्वारा मारपीट की गयी। इसके उपरान्त 1-शारदुल 2-शिवम 3-शगुन उपरोक्त व 4-ओमकार पुत्र महावीर द्वारा अमित के घर पर जाकर उसके सिर पर लोहे की रोड से ताबडतोड वार कर हत्या कर दी। जिसके संबंध में मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 139/2021 धारा 302/452/323/504/ 506 आईपीसी बनाम 1-ओमकार 2-शारदुल 3-शिवम 4-शगुन समस्त निवासीगण ग्राम फुलसन्दी थाना नहतौर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा 15-15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। जिसके क्रम थाना नहतौर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-शारदुल 2-ओमकार उपरोक्त को दिनांक 17.05.2021 की सांय 18:30 बजे बस स्टैण्ड कस्बा नहतौर से तथा अभियुक्तगण 3-शिवम 4-शगुन को आज दिनांक 18.05.2021 को समय सुबह 09:40 बजे ऑक्सफोर्ड स्कूल कस्बा नहतौर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

